

FORM No. IH
फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपरोक्त अधिकारी मुकाम तपाना
पुरविलेव नाम गुणील
किसम मुकदमा नं. सन 126/2020
जाका 531100 RT Act

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नथर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/1/20	<p>जाका 431- (12/12/19 ही) प्रतिवादीगण की जस्टिस सन तलव कर पत्रावली- 13/1/20 को पेश है।</p> <p>पीठासीन अधिकारी का 20/1/20 को पेश है।</p> <p>पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/1/20 को पेश है।</p> <p>रिडर</p> <p>एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना</p>	
31/1/21	<p>पीठासीन अधिकारी का 20/1/20 को पेश है।</p> <p>पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/1/21 को पेश है।</p> <p>रिडर</p> <p>एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना</p>	पूरन
23/1/21	<p>पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/1/21 को पेश है।</p> <p>अवकाश मिली थी 1, 2, 3, 5 की तामील दिनांक 13/1/21 हेतु अधिवक्ता को पेश है।</p> <p>न्यायालय हाजिरी उपस्थित नहीं। अधिवक्ता प्रतिवादीगण को 13/1/21 को पेश है।</p> <p>अमल में तामील नहीं है। अधिवक्ता की तामील प्रोफेसर नहीं हुए। अधिवक्ता को पेश है।</p> <p>जस्टिस सन तलव कर पत्रावली दिनांक 13/1/21 को पेश है।</p> <p>पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/1/21 को पेश है।</p>	जस्टिस

रव ता
म जो
ने ता

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>27/6 25</p>	<p>पीठासीन अधिकारी..... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश है। 18/8 तैहर ओ/एस.डी.एम.</p>	
<p>18/8 25</p>	<p>पीठासीन अधिकारी..... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश है। तैहर ओ/एस.डी.एम.</p>	<p>Number New Lam</p>
<p>10/9 25</p>	<p>पं. वासी (350) बहन कारिका - पुनी काशी पत्रावली - वाही काउंटर दिनांक 19/9/25</p>	
<p>19/9 25</p>	<p>250 वासी (350) पीठासीन अधिकारी को पेश है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/9/25 को पेश है। तैहर ओ/एस.डी.एम.</p>	
<p>8/10 25</p>	<p>पीठासीन अधिकारी..... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश है। तैहर ओ/एस.डी.एम.</p>	
<p>11/11 25</p>	<p>प्रकरण पेश उजा वृद्धलाभ उपा प्रकरण में तहसीलदार कमाना द्वारा पत्रांक/LR/25/143 दिनांक 02-05-2025 से कुरेजात रिपोर्ट म्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई वृद्धलाभ में दौरान</p>	

तारीख
हुवम

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर च तारीख
अद्वैत जो
हुवम की तारीख
में जारी हुई

गद्य क्रिजात रिपोर्ट अनुसार विभाजन
किये जाने में सुझाव डबल प्रकरण
डिही किये जाने योग्य है।

आदेश

आतः प्राचीन पत्र/पावा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राजकीय अन्तर्गत स्वीकार
किया जाता है। पाद पत्र में वर्णित
आराजीमात का तहसीलदार बयाना की
क्रिजात रिपोर्ट क्रमांक LR/25/1473
दिनांक 02-05-2025 परामर्शानु के
मध्य प्रथम-प्रथम विभाजन किया
जावे। पावा वादीगण डिही किया
जाता है। डिही पचा जारी है।
तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट क्रिजात
क्रमांक LR/25/1473 दि 02/05/25
निर्णय का जुज रहेगा। पत्रावली
फैजल कुमार खान नम्बर 10 के

के पास तहसील दायित्व दफ्तर

उपस्थित
बयाना (मलपुर)